



मा० मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड शासन।



मा० शिक्षा मंत्री,
उत्तराखण्ड शासन।

सर्व शिक्षा अभियान – आर०टी०ई० के अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ

1. उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 प्रख्यापित।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(1)(c) के प्रावधानों के अनुसार निजी/असहायता प्राप्त विद्यालयों में 13481 अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश।
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-21 के प्रावधानों के अनुसार निजी विद्यालयों को छोड़कर शेष समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समितियों का गठन।
4. राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व बी०पी०एल० श्रेणी के बालकों को निःशुल्क गणवेश का वितरण।
5. विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों हेतु आवासीय व अनावासीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।
6. राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-1 से 8 तक अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित।
7. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 1221 अल्पकालिक अध्यापकों, 285 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, 95 एम०आई०एस० समन्वयकों, 363 एकाउन्टेन्ट कम सपोर्ट स्टॉफ तथा 15 क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के पदों पर आउट सोर्सिंग एजेन्सी उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से तैनाती हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ।
8. 575 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान विषय को प्रायोगिक तरीके से सीखने-सिखाने हेतु विज्ञान एवं गणित किट का वितरण।
9. काल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत 2002 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कम्प्यूटरों से आच्छादित।
10. विशेष आवश्यकता वाले 7114 बच्चों को सहायक उपकरण तथा 4750 बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र वितरित।
11. 10 जनपदों के 747 बच्चों हेतु वर्ष 2010-11 में ट्रान्सपोर्ट/एस्कोर्ट सुविधा की उपलब्धता।
12. शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 तथा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा निर्गत सम्बन्धित शासनादेश सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाईट <http://ssa.uk.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड।